कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/प्रारं/वै.शि.प्र./प्रवेशोत्सव/2025–26/19810 दिनांकः यथाहस्ताक्षर

1.समस्त सम्भागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, ।
2.समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, स्कूल शिक्षा।
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मु.) प्रारम्भिक शिक्षा।

विषयः समस्त राजकीय विद्यालयों में प्रवेशोत्सव अभियान के अन्तर्गत नामांकन अभिवृद्धि, अनामांकित एवं ड्रापआउट बालक–बालिकाओं को नामांकन के लिए प्रोत्साहित करने तथा विद्यालयी शिक्षा से पुनः जोड़ने के संबंध में।

प्रसंगः शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग एवं पंचायतीराज (प्रारम्भिक शिक्षा) राजस्थान, जयपुर/दिनांक 17.04.2025।

संदर्भः कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र क्रमांकःशिविरा/माध्य/गुण. एवं प्रशि. अनु./गुणवत्ता विविध/2025–26/पार्ट–14/दिनांकः 15.04.2025

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासंगिक एवं संदर्भित पत्र द्वारा प्रवेशोत्सव कार्यक्रम 2025–26 के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अन्तर्गत डिजिटल प्रवेशोत्सव कार्यक्रम का संचालन किया जाना है।

- प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षकों के माध्यम से विद्यालय परिक्षेत्र में घर–घर जाकर हाउस होल्ड सर्वे किया जाना है। हाउस होल्ड सर्वे उपरान्त चिन्हित बच्चों का विद्यालय में प्रवेश एवं पूर्व से नामांकित विद्यार्थियों का ठहराव सुनिश्चित करने हेतु प्रवेशोत्सव अभियान चलाते हुए शिक्षा विभाग की विभिन्न लाभकारी योजनाओं/गतिविधियों/कार्यक्रमों से अभिभावकों/आमजन को अवगत कराते हुए अधिकाधिक प्रचार–प्रसार करते हुए नामांकन करवाना सुनिश्चित करावें।
- प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के समस्त बालक–बालिकाएँ, जिनकी आयु विद्यालय/आंगनबाडी जाने योग्य है, को पहचान कर उनकी आयु अनुरूप आंगनबाडी/कक्षा में प्रवेशित कर उन्हें आंगनबाडी एवं विद्यालयों से जोडा जाना है। इसके लिए संलग्न दिशा–निर्देशों के अनुरूप अपने अधिनस्थ समस्त अधिकारियों को निर्देशित करें कि वे नामांकन वृद्धि, अनामांकित एवं ड्रॉप आउट बच्चों एवं प्रवासी श्रमिकों के बच्चों एवं बाल श्रम से मुक्त कराये गये बच्चों तथा गाडिया लुहार/घुमन्तू परिवारों के बच्चों को विद्यालय से जोडने हेतु प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के दौरान हाउस होल्ड सर्वे कर शिक्षा से वंचित बच्चों को चिन्हित करते हुए विद्यालय से जोडकर शाला दर्पण के CRC मॉड्यूल पर प्रविष्टि सुनिश्चित करावें।

संलग्न दिशा–निर्देश अनुरूप कार्ययोजना बनाकर सुनिश्चित किया जाये कि आंगनबाडी एवं विद्यालय जाने योग्य आयु का कोई भी बालक–बालिका अनामांकित न रहे। विद्यालय स्तर पर 3 वर्ष से 18 वर्ष तक सभी बालक–बालिकाओं का रिकार्ड संधारित किया जाये।

संलग्नः उपर्युक्तानुसार।

(सीताराम जाट)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा एवं
पं. राज.(प्रा.शि.) विभाग
राजस्थान, बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2025.04.22 16:02:20 IST
Reason: Approved

प्रतिलिपिः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा, रा0 सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं संस्कृत विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
7. निजी सचिव, आयुक्त ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग, राजस्थान सरकार।
8. निजी सचिव, आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिष्द जयपुर।
9. निजी सचिव, निदेशक प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
10. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी शिक्षा संकुल, जयपुर को मॉडयूल व एप में वांछित अद्यतन करवाने हेतु।
11. निजी सचिव, सचिव राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर।
12. निजी सचिव, निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
13. निजी सचिव, जिला कलेक्टर समस्त जिले।
14. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार।
15. निजी सचिव, जिला साक्षरता एवं सतत् शिक्षा अधिकारी, निदेशालय साक्षरता एवं सतत् शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
16. निजी सहायक, निदेशक संस्कृत शिक्षा निदेशालय शिक्षा संकुल परिसर, जयपुर।
17. निजी सहायक, सचिव, राजस्थान मदरसा बोर्ड, शिक्षा संकुल परिसर, जयपुर।
18. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (II), समग्र शिक्षा, जयपुर।
19. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्।
20. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समितियां (समस्त ब्लॉक) राजस्थान।
21. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, पंचायत समितियां (समस्त ब्लॉक) राजस्थान।
22. उपनिदेशक शाला दर्पण जयपुर को शाला दर्पण के CRC मॉड्यूल पर विद्यार्थी प्रवेश की मॉनिटरिंग व एनआईसी से समन्वय कर वांछित अद्यतन करवाने हेतु।
23. समस्त संस्थाप्रधान।
24. रक्षित पत्रावली।

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा एवं
पं. राज.(प्रा.शि.) विभाग
राजस्थान बीकानेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2025.04.22 16:02:20 IST
Reason: Approved